

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०-39-19/2024- 07

पटना, दिनांक- 04/01/2025

कार्यालय आदेश

सुश्री/श्रीमती ज्योति मिश्रा, प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8), अन्य पिछड़ा कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, दक्षिणी, काको जहानाबाद को स्वयं की चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-233, 234 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उनके आवेदन के आधार पर दिनांक-09.09.2024 से दिनांक-29.09.2024 (कुल-21) दिनों तक की अवधि के लिए कुल-42 (बेयालिस) दिन आधे वेतन पर अवकाश के समतुल्य रूपांतरित अवकाश कुल-21 (इक्कीस) दिनों के पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

2-रूपांतरित अवकाश अवधि का वेतनादि का भुगतान संबंधित व्यय शीर्ष से होगा।

3-प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

9
04/11/2025

(गोपाल प्रसाद)

उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०-39-19/2024- 07 पटना, दिनांक- 04/01/2025
प्रतिलिपि:-उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, जहानाबाद/सुश्री/श्रीमती ज्योति मिश्रा, प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8), अन्य पिछड़ा कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, दक्षिणी, काको जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9
04/11/2025

उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व०/7/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०-39-19/2024- 07 पटना, दिनांक- 04/01/2025
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9
04/11/2025

उप निदेशक।